

न्यायालय—श्रीमती विनीता गुप्ता मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला सीहोर (म.प्र.)

क्रमांक—679 / मु0न्या0म0 / 2026

सीहोर, दिनांक—09.10.2026

॥ आदेश ॥

दिनांक—28.09.2026 को पारित रिमाण्ड आदेशानुसार श्री अरविंद सिंह गुर्जर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीहोर के द्वारा दिनांक—10.10.2026 एवं 11.10.2026 की रिमाण्ड ड्यूटी संपादित की जानी थी, किंतु उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के आवश्यक कार्य से मुख्यालय से बाहर होने से उनके स्थान पर दिनांक—10.12.2026 की रिमाण्ड ड्यूटी सुश्री शिवानी श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीहोर एवं दिनांक—11.10.2026 की रिमाण्ड ड्यूटी श्री विशद गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीहोर द्वारा संपादित की जावेगी।

उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट निम्नांकित दर्शित तिथि को अपरान्ह 3:00 बजे से 5:00 बजे तक उनके न्यायालय में आसीन होकर रिमाण्ड एवं आवश्यक आपराधिक (न्यायिक) कार्य संपादित करेंगे।

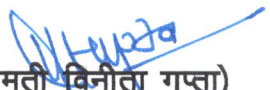

(श्रीमती विनीता गुप्ता)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला—सीहोर (म.प्र.)

प्रतिलिपि :-

क्रमांक..... / 2026

सीहोर, दिनांक—09.10.2026

- 1— श्रीमान् प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, सीहोर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2— सुश्री शिवानी श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीहोर जिला—सीहोर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 3— श्री विशद गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीहोर जिला—सीहोर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 4— सिस्टम ऑफिसर जिला सीहोर की ओर संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के ई—मेल पर प्रसारित किये जाने हेतु प्रेषित।
- 5— सहायक लोक अभियोजन अधिकारी सीहोर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


(श्रीमती विनीता गुप्ता)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला—सीहोर (म.प्र.)